

## हरियाणा में सरकारी विश्वविद्यालयों पर बढ़ता ऋण

### चर्चा में क्यों?

हरियाणा के पूर्व वित्तमन्त्री ने [सरकार द्वारा अनुदान](#) के स्थान पर ऋण देने के बाद राज्य संचालित विश्वविद्यालयों पर बढ़ते ऋण को उजागर करने के लिये एक अभियान शुरू करने की योजना बनाई है।

### मुख्य बिंदु

- **बढ़ता विश्वविद्यालय ऋण:**
  - हरियाणा के 22 राज्य विश्वविद्यालयों पर ऋण के साथ अनुदान सहायता नीति में बदलाव के कारण 6,625.82 करोड़ रुपए का ऋण जमा हो गया है।
  - बढ़ते ऋण से अनुसंधान, शक्तिषण और यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों के अस्तित्व पर भी असर पड़ सकता है।
- **सरकार का औचित्य:**
  - राज्य सरकार का कहना है कि यह धनराशि “ब्याज मुक्त स्थायी ऋण के रूप में गैर-वसूली योग्य वित्तीय सहायता” योजना के तहत प्रदान की जाती है।
  - अधिकारियों का तर्क है कि अनुदान सहायता को [राजस्व व्यय](#) के रूप में गिना जाता है, जबकि ऋण को पूंजीगत व्यय के रूप में गिना जाता है, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों के लिये परसिंपत्तियों का निर्माण और राजस्व उत्पन्न करना है।
- **स्व-वित्तपोषण मॉडल पर चर्चा:**
  - अनुदान सहायता के स्थान पर ऋण देने के निर्णय का व्यावहारिक अर्थ यह है कि सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को **स्व-वित्तपोषण पद्धति अपनानी होगी**, जिससे विश्वविद्यालयों को फीस बढ़ाने के लिये बाध्य होना पड़ेगा, जिससे निम्न एवं मध्यम वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना अप्राप्य हो जाएगा।
- **सहायता अनुदान**
  - सहायता अनुदान एक सरकार द्वारा दूसरी सरकार, निकाय, संस्था या व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता, दान या अंशदान की प्रकृति के भुगतान है।
  - राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदान सहायता के अलावा, केंद्र सरकार अन्य एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं को अनुदान सहायता के रूप में पर्याप्त धनराशि देती है।
  - इसी प्रकार, राज्य सरकारें भी एजेंसियों, निकायों और संस्थानों जैसे विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, सहकारी संस्थाओं आदि को अनुदान सहायता वितरित करती हैं।
  - इस प्रकार जारी किये गए अनुदान का उपयोग इन एजेंसियों, निकायों और संस्थाओं द्वारा दैनिक-प्रतिदिन के परिचालन व्ययों को पूरा करने और पूंजीगत परसिंपत्तियों के सृजन के लिये किया जाता है।